अंग्रेजी माध्यम

कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक– 23207-11 /2020–21 दिनांक– 01/12/2020

सेवा में,

प्रबन्धक,
हरिश्चन्द्र मिश्रा पब्लिक स्कूल सरायमंदराज
भवरंनाथ, आजमगढ।

विषय :– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **हरिश्चन्द्र मिश्रा पब्लिक स्कूल सरायमंदराज भवरंनाथ, आजमगढ** को दिनांक 01 जुलाई 2019 से **कक्षा– 1 से कक्षा–5** तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ–

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–5 के पश्चात् मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के प्रतिशत तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्णियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा–
   - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नही किया जायेगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नही किया जायेगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विषेश आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।
   - अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।
   - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नही करेगा।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

क्रमशः – 2

8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है :–
   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–
   कुल निर्मित क्षेत्र
   क्रीड़ा –स्थल का क्षेत्रफल
   कक्षाओ की संख्या
   प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भंडागार के लिए कक्ष
   बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
   पेयजल
   मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई घर
   बाधारहित पहुँच
   अध्यापन पाठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करो / पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता कक्षायें नही चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियो के समूह या संगम या किसी किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा सप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।
14. आपके द्वारा विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ष 2020–   ) है। कृपया इसे नोट करले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशको का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।
17. विद्यालय प्रबन्ध / न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशो का अनुपालन करेगा।
18. शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी का शासन द्वारा अनुमन्य पद ही मान्य होगा।
19. संलग्न अनुलग्नक उपलब्ध के अनुसार अन्य शर्तें:–

भवदीय

(अम्बरीष कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

पृ0सं0 मान्यता /   / 2020–21 / तद् दिनांक –
प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–सचिव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद।
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ मण्डल आजमगढ़ ।
4–सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

(अम्बरीष कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

अंग्रेजी माध्यम

कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक– 22295-99 /2020–21 दिनांक– 06/11/2020

सेवा में,

प्रबन्धक,
हरिश्चन्द्र मिश्रा पब्लिक स्कूल सराय मन्दराज भंवरनाथ,
आजमगढ़।

विषय :– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **हरिश्चन्द्र मिश्रा पब्लिक स्कूल सराय मन्दराज भवंरनाथ आजमगढ़** को दिनांक जुलाई 2019 से **कक्षा– 6 से कक्षा–8** तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसचना देता हॅ–

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–5 के पश्चात् मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के प्रतिशत तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्णियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा–
   - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नही किया जायेगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नही किया जायेगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विषेश आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।
   - अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।
   - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नही करेगा।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

क्रमशः – 2

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है :–
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा –स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओ की संख्या
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भंडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई घर
बाधारहित पहुॅच
अध्यापन पाठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करो / पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता कक्षायें नही चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियो के समूह या संगम या किसी किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा सप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।
14. आपके द्वारा विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ष 2020–) है। कृपया इसे नोट करले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशको का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।
17. विद्यालय प्रबन्ध /न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशो का अनुपालन करेगा।
18. शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी का शासन द्वारा अनुमन्य पद ही मान्य होगा।
19. संलग्न अनुलग्नक उपलब्ध के अनुसार अन्य शर्तें:–

भवदीय

(अम्बरीष कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

पृ0सं0 मान्यता / /2020–21 / तद् दिनांक –
प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–
1–अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–सचिव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद।
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ मण्डल आजमगढ़ ।
4–सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

(अम्बरीष कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।